संचालनालय चिकित्सा शिक्षा

पुराना नर्सेस हॉस्टल, डी०के०एस० भवन परिसर रायपुर, छत्तीसगढ़

काउंसिलिंग में अभ्यर्थियों को होने वाली कठिनाई निराकरण हेतु मार्ग–दर्शन

ऑनलाईन पंजीयन में विभिन्न Query के निराकरण हेतु निम्न जानकारियॉ है :–

1. ऑनलाईन आवेदन शुल्क UR रू. 1,000/– एवं मेडिकल प्रवेश हेतु राजपत्र – भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नई दिल्ली द्वारा जारी – भारत का राजपत्र संशोधन अधिसूचना, नई दिल्ली दिनांक 18 मई 2018 – सं.भा.आ.प.–34 (41)/2018–मेडत्र/109835 स्नातक चिकित्सा शिक्षा (संशोधन) विनियमावली, 2018 के अनुसार रू 10,000/– कुल 11,000/–

   ऑनलाईन आवेदन शुल्क OBC रू. 1,000/– एवं मेडिकल प्रवेश हेतु राजपत्र – भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नई दिल्ली द्वारा जारी – भारत का राजपत्र संशोधन अधिसूचना, नई दिल्ली दिनांक 18 मई 2018 – सं.भा.आ.प.–34 (41)/2018–मेडत्र/109835 स्नातक चिकित्सा शिक्षा (संशोधन) विनियमावली, 2018 के अनुसार रू 5,000/– कुल 6,000/–

   ऑनलाईन आवेदन शुल्क ST + SC रू. 500/– एवं मेडिकल प्रवेश हेतु राजपत्र – भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नई दिल्ली द्वारा जारी – भारत का राजपत्र संशोधन अधिसूचना, नई दिल्ली दिनांक 18 मई 2018 – सं.भा.आ.प.–34 (41)/2018–मेडत्र/109835 स्नातक चिकित्सा शिक्षा (संशोधन) विनियमावली, 2018 के अनुसार रू 5,000/– कुल 5,500/–

   नोट :– 1. राजपत्र – भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नई दिल्ली द्वारा जारी – भारत का राजपत्र संशोधन अधिसूचना, नई दिल्ली दिनांक 18 मई 2018 – सं.भा.आ.प.–34 (41)/2018–मेडत्र/109835 जो स्नातक चिकित्सा शिक्षा (संशोधन) विनियमावली, 2018 के अनुसार प्रवेशित छात्रों, अनाबंटित छात्रों एवं आबंटित अप्रवेशित छात्रों पर रू. 10000/रू. 5000 शुल्क बाबत् नियमतः कार्यवाही की जायेगी।

   2. उपरोक्त रू. 10000/रू. 5000 शुल्क केवल दंत चिकित्सा महाविद्यालय चयन करने वाले अभ्यर्थी पर लागू नहीं है।

   3. यदि निजी चिकित्सा महाविद्यालय होते तो रूपये एक लाख शुल्क देना पड़ता, देखे राजपत्र – भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नई दिल्ली द्वारा जारी – भारत का राजपत्र संशोधन अधिसूचना, नई दिल्ली दिनांक 18 मई 2018 – सं.भा.आ.प.–34 (41)/2018–मेडत्र/109835 स्नातक चिकित्सा शिक्षा (संशोधन) विनियमावली, 2018

2. प्रायः देखने में आया है कि अपने आवेदन को पूर्णतः भरे बगैर, जिसमें शुल्क का भी जमा न किया जाना भी सम्मिलित है, के बगैर, Edit Option में चले जाते है जिससे फार्म आगे नहीं बढ़ता है। अतः अभ्यर्थी पहले फार्म को पूरा करें, फिर यदि कोई फार्म में सुधार किया जाना है तो Edit Option में जाये।
3. मेडिकल प्रवेश में केवल वर्तमान में 6 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय उपलब्ध है, जिसके कारण कोई प्रबंधन नियतांश की सीटे उपलब्ध नहीं है।

4. दंत चिकित्सा महाविद्यालय में 1 शासकीय और 5 निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय सम्मिलित है। जिसमें शासकीय नियतांश एवं प्रबंधन नियतांश की सीटे उपलब्ध है, किन्तु 1 दंत चिकित्सा महाविद्यालय जो राजनांदगांव में है उक्त संस्था जैन अल्पसंख्यक समुदाय हेतु नियमतः उपलब्ध है।

5. स्टेट एवं मैनेजमेंट एक साथ दिखाने का तात्पर्य यह है कि पूर्व में निजी महाविद्यालय द्वारा पृथक से परीक्षा का आयोजन किया जाता था किन्तु विगत वर्षों से नीट परीक्षा के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) No 267 / 2017 के आदेशानुसार शासकीय समिति द्वारा दोनों प्रकार की सीटों का आबंटन किया जाता है जिसमें फीस इत्यादि का कोई अंतर वर्तमान में नहीं है। इस जानकारी के अभाव में राज्य कोटे के अभ्यर्थी पात्र होने के बाद भी मैनेजमेंट कोटे की सीट नहीं ले पाते थे इस लिए स्टेट एवं मैनेजमेंट को साथ में रखा गया है ताकि अभ्यर्थियों का नियम जानकारी के अभाव में अहित न हो।
6. यदि आपका ऑनलाईन आवेदन में पेमेंट आपके एकाउण्ट से भुगतान हो चुका है, किन्तु बैंक गेटवे के द्वारा भुगतान नहीं दिखा रहा है तो कृपया 24 घण्टे इंतजार करे एवं आपके संबंधित बैंक से जानकारी ले लेवें (बिना भुगतान प्राप्त किये आपका ऑनलाईन आवेदन आगे नहीं बढ़ेगा। अतः अंतिम तिथियों में ऑनलाईन आवेदन न करे, ताकि भुगतान की परेशानी होने पर आपके पास पर्याप्त समय रहें)। भुगतान की परेशानी संबधित ऑनलाईन आवेदन का स्क्रीन–शाट एवं जानकारी सहित इस कार्यालय के ई–मेल cgdme.counseling@gmail.com पर करें।

   नोट :– यदि अंतिम तिथि को भुगतान की परेशानी होती है तो आप दुबारा भुगतान कर आवेदन पूर्ण करे, यदि दो बार भुगतान प्राप्त होता है तो नियमतः भुगतान की राशि वापस कर दी जायेगी। किन्तु इसमें Edit Option की शुल्क वापसी हेतु सम्मिलित नहीं है।

7. संस्था का चयन करते समय अपने वांछित क्रम के अनुसार ही संस्था का चयन करे। आपकी प्रावीण्यतानुसार आपको संस्था का आबंटन स्वतः हो जायेगा।
8. किसी भी श्रेणी (OBC/SC/ST) अथवा संवर्ग (विकलांग/सैनिक./स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) चयन करने के पूर्व परीक्षण कर ले की वांछित दस्तावेज आपके पास उपलब्ध है।
9. ऑनलाईन आवेदन पूर्णतः के बाद संस्था के चयन विकल्प को लॉक (Lock) करना आवश्यक है। यदि लॉक (Lock) नहीं करते है तो अंतिम तिथि के बाद स्वतः लॉक (Lock) हो जायेगा।
10. इस ऑनलाईन आवेदन के साथ चयन विकल्प डालना अनिवार्य है क्योंकि इस हेतु कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जावेगा।
11. अन्य किसी भी जानकारी हेतु नियम 2018 का अवलोकन अवश्य करें।

संचालक चिकित्सा शिक्षा
छत्तीसगढ़